बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संख्या-5/आ०2-1029/2022(खण्ड)- 1130 पटना, दिनांक:- 05/6/21

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका अन्तर्गत बौंसी ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता एवं अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय पत्रांक-1969, दिनांक-19.09.2025 द्वारा श्री दिनेश प्रसाद यादव, तत0 कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाँका सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर, प्रशाखा-संग्रामपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री यादव के पत्रांक-शून्य, दिनांक-22.10.2024 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

02. विभाग द्वारा श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाये जाने के फलस्वरूप सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर श्री यादव के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-1969, दिनांक-15.09.2025 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री यादव के पत्रांक-शून्य, दिनांक-22.10.2024 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री यादव द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम विपत्र से पंचम विपत्र एवं चालू विपत्र में कुल राशि 2,61,45,073.00 रूपये की अनुशंसा के आलोक में 2,55,65,472.00 रूपये का भुगतान संवेदक को किया गया है।

03. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट के पत्रांक-653, दिनांक--27.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार SD मद में काटी गयी राशि 18,41,376.00 रूपये को सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। साथ ही 15,43,862.00 रूपये की वसूली पूर्व में की जा चुकी है। इस प्रकार सम्पूर्ण ऋणात्मक विपत्र की वसूली की जा चुकी है।

04. श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि प्रथम से पंचम चालू विपत्र की मापी श्री यादव द्वारा की गयी थी। इस प्रकार प्रथम से पंचम चालू विपत्र की गलत एवं त्रुटिपूर्ण मापी श्री यादव के स्तर से ली गयी थी, जिसके कारण अंतिम मापी के अनुसार 30,82,669.00 रूपये मात्र का ऋणात्मक विपत्र आया एवं श्री यादव द्वारा की गयी गलत मापी के कारण ही संवेदक को 30,82,669.00 के अधिकाय भुगतान का मामला संज्ञान में आया। समीक्षोपरांत श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य पाया गया।

अतः वर्णित स्थिति में विषयांकित मामले में श्री यादव के स्तर से बरती गयी शिथिलता एवं अनियमितता हेतु बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। एतदर्थ उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दया शंकर प्रसाद, मुख्य अभियंता(दक्षिण बिहार), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री रंजीत कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

abh/sanklp

(717)

05. आरोपित श्री यादव आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति एवं आरोप पत्र सभी अनुलग्नक सहित श्री दिनेश प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर, प्रशाखा-संग्रामपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री दया शंकर प्रसाद, मुख्य अभियंता(दक्षिण बिहार), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री रंजीत कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट को दी जाय।

ह०/-
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-5/आ०2-1029/2022(खण्ड)- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः-अनुलग्नक सहित आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री दिनेश प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर, प्रशाखा-संग्रामपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री दया शंकर प्रसाद, मुख्य अभियंता(दक्षिण बिहार), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री रंजीत कुमार, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बाराहाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

ज्ञापांक-5/आ०2-1029/2022(खण्ड)- 1130 पटना, दिनांक- 05/6/26

प्रतिलिपिः-अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर/प्रशाखा पदाधिकारी-प्रशाखा-02/आई.टी. मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव(मु0)

सुनील
04-6-26

abh/sanklp